न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 229/2023

नन्दा पुत्र नारायण जाति जाट उम्र 68 साल निवासी ग्राम डीडवाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

– प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र मोती जाति जाट उम्र करीबन 40 साल
2. रामधन पुत्र जेठू जाति जाट उम्र करीबन 50 साल
3. श्रीमती धारा पत्नि श्री रामधन जाति जाट उम्र करीब 50 साल
4. जगदीश पुत्र रामधन जाति जाट उम्र करीब 28 साल सर्वनिवासीगण ग्राम डीडवाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज0।

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् पेश कर निवेदन किया है कि उन्होने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने की वजह से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की और से वकील श्री ध्रुवसिह चौधरी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषिआराजी खसरा नम्बर 1775/646 रकबा 1.2944 हैक्टेयर किश्म बंजर प्रथम वाके ग्राम डीडवाडा पटवार हल्का डीडवाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित है उक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संम्वत 2077 (वर्ष 2020 से स्थाई) राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है तथा प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1774/646 मे ज्वार की फसल काश्त की गई है उसका ज्वार का चारा कटा हुआ पडा है उक्त चारे को अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 प्रार्थी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1775/646 की आराजी में होकर चारे की ट्रेक्टर ट्रोली को निकालने नही दे रहे है अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा दर्ज है प्रार्थना पत्र अधीन अराजी का अभी तक किसी प्रकार का बंटवार किया हुआ नही है अर्थात संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का किसी तरह का हक हिस्सा प्रार्थना पत्र अधीन आराजी में न होते हुई भी लकडी लाठी व रिवालवर के जोर पर प्रार्थी के ज्वार के चारे को जोर जबरदस्ती के आधार पर व गुंडेगर्दी के आधार पर प्रार्थी के ज्वार चारे की [illegible] ट्रोली को खसरा नम्बर 1775/646 में से निकलने नही दे रहे है [illegible] किसी प्रकार का विधिक अधिकार न होते हुए भी विधि विरूद्ध बिना किसी [illegible] के प्रार्थी की संयुक्त काश्त एवं खातेदारी की आराजी में से उसके ज्वार के चारे की भरी हुई ट्रेक्टर ट्रोली [illegible] निकलने दिया कटा हुआ ज्वार का चारा प्रार्थी का मौके पर पडा हुआ है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अधीन आराजी के उपयोग उपभोग में बिना किसी विधिक आधारों के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.11.25 15:44:41 IST
Reason: SelfAttested

जोर जबरदस्ती के आधार पर व गुंडेगर्दी के आधार पर प्रार्थी के ज्वार चारे की भरी ट्रेक्टर ट्रोली को खसरा नम्बर 1775/646 में से निकलने नही दे रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2,3,4 को किसी प्रकार का विधिक अधिकार न होते हुए भी विधि विरूद्ध बिना किसी अधिकार के प्रार्थी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी में से उसके ज्वार के चारे की भरी हुई ट्रेक्टर ट्रोली को नही निकलने दिया कटा हुआ ज्वार का चारा प्रार्थी का मौके पर पडा हुआ है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अधीन आराजी के उपयोग उपभोग में बिना किसी विधिक आधारा के प्रार्थी के चारे की ट्रेक्टर ट्रोली को नही निकालने दिया जा रह है शेष चारा मौके पर पडा हुआ है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अधीन आराजी का अच्छी में से अच्छी व बरी में से बुरी का बंटवारा कर नया खाता खसरा कायम कर प्रार्थना पत्र अधीन आराजी की नापचौप प्रार्थी के हिस्से की आराजी का बंटवारा कराने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है तथा बंटवारा की डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार महोदय किशनगढ को प्रदान करावें तथा वाद बंटवारा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद कराने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के हिस्से में आई आराजी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा ना पहुचाये किसी प्रकार की मदाखलत न करें, यदि प्रार्थना पत्र अधीन अराजी के उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण स्वयं उनके सगे संबंधी नोकर चाकर एजेन्ट आदि को ताफैसला मूलवाद पाबंद नही किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से मूल्य में संभव नही हो सकेगी।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 04.10.2023 को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की तलबी होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 01 से 04 अनुपस्थित रहे जिसके कारण दिनांक 04.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 06.11.2024 को वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में मौजूद जमाबन्दी सम्वत 2066–69 जमाबन्दी सम्वत 2077 से ताईद है कि ग्राम डींडवाडा तहसील किशनगढ में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1775/646 रकबा 1.2944 हैक्टेयर में प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है, अतः अप्रार्थीगणों को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 6/11/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.11.25 15:44:41 IST
Reason: SelfAttested